प्रकरण संख्या 5/2014 संग्रामदास बनाम नाथूसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.10.2020	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ढोल में प्रार्थी के आधिपत्य की आराजी नंबर 7950/7677 रकबा 0.3550 हैक्टर स्थित है, जो प्रार्थी की अन्य आराजियात के साथ एक चक में होकर चारों ओर बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है तथा प्रार्थी का कदीमी कब्जा चला आ रहा है। दिनांक 26.09.2012 को विपक्षी संख्या 2 मौके पर आये एवं धमकी दी कि उक्त आराजी मैंने क्रय कर ली है। इस पर प्रार्थी ने नकल प्राप्त की तो पता चला कि उक्त आराजी विपक्षी संख्या 1 नाथूसिंह के नाम खाते में दर्ज है, जबकि उसका उक्त आराजी की एक ईन्च भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा, केवल मात्र राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया है, जबकि कब्जा वर्षो से प्रार्थी का ही चला आ रहा है, जिसे 12 वर्ष से अधिक का समय हो जाने से प्रार्थी घोषणा कराने का अधिकारी है। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात में प्रवेष नहीं करें एवं प्रार्थी के कब्जे काष्त में दखलन्दाजी न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें। विपक्षीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होकर उसी का आधिपत्य चला आ रहा है एवं विपक्षी संख्या 2 द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 19.12.2013 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 22.03.2014 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।	

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.11.09 13:05:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 5/2014 संग्रामदास बनाम नाथूसिंह व अन्य

वकील अपीलान्ट द्वारा दफा 5 का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी, जिससे अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः विलम्ब को कण्डोन फरमाया जावे। ताईद में षपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि उसका विवादित आराजियात पर कदीमी कब्जा चला आ रहा है, जिसे 12 वर्षो से अधिक समय हो जाने से वह घोषणा कराने का अधिकारी है। अपीलान्ट गरीब होकर इसी आराजी से अपने परिवार का गुजारा करता है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट जागीरदार व्यक्ति होकर उनके पास भूमि होने के बावजूद गलत तरीके से आवंटन करा अपीलान्ट को परेषान करते हैं। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय व विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किया जावे।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि रेस्पोन्डेन्ट विवादित आराजियात के रेकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने के कारण अपीलान्ट का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.12.2013 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.11.09 13:05:22 IST
Reason: SelfAttested